संख्या-25/2017/2747/78-2-2017/25आई0टी0/2001

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 05 अगस्त , 2017

विषय:- कम्प्यूटर क्रय प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनाक 23 अगस्त 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू कर दी गई है। उक्त शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्थानुसार, जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें जेम (GeM) पर उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

2 सूच्य है कि शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर के क्रय हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश सँख्या 1056/78- आई0टी0-2-2001-25आईटी/2001 दिनांक 01 अगस्त 2001 तथा शासनादेश संख्या 08/ 78-आई0टी0-2-2001 दिनांक 12 सितम्बर 2001 निर्गत किये गये हैं तथा इनमें प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रायः आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ निगमों - यूपीडेस्को/यूपीएलसी/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के माध्यम से कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरणों का क्रय किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा एवं जो सामग्री अथवा सेवायें जेम पर उपलब्ध नहीं है उनके लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों के साथ-साथ आई0टी0 एवं इले0 विभाग के शासनादेश दिनांक 1.8.2001 तथा 12.9.2001 द्वारा निर्गत व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी।

भवदीय,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।